सार्वभौमिक मानव अधिकारों पर अध्ययनात्मक वर्णनएवं'राष्ट्रीय मानवाधिकारआयोग'की भूमिका

डा0 पल्लवी सिंह

असिसटेंट प्रोफेसर– राजनीति विज्ञान विभाग।

राजकीय महाविद्यालय, हसनपुर, अमरोह उ0प्र0।

लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। –नेल्सन मंडेला।

सारांश :मानवअधिकार वह अधिकार है, जोकि इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति, केवल एक इंसान होने के कारण ही प्राप्त करता है, यें अधिकार विश्वव्यापी हैं और वैश्विक कानूनों द्वारा संरक्षित है। सदियों से मानव अधिकारों और स्वतंत्रता का विचार अस्तित्व में है। मानव अधिकारों में वे मूल अधिकार शामिल है जोजाति, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना हर इंसान को दिए जाते हैं। यह भारतीय संविधान के भाग तृतीया के अनुच्छेद 14 में 32 तक वर्णित है। अनुच्छेदों में दर्ज सार्वभौमिक इन अधिकारों पर मनुष्य का जन्मजात अधिकार है, किंतु आज भी इन अधिकारों की जानकारी के अभाव में एक व्यक्ति के द्वारा अथवा सरकार या कानून द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। यह अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है लेकिन जागरूकता के अभाव में इन्हें पूर्ण रूप से अंगीकृत नहीं किया जा सका। भारत में इन सभी अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा न्याय दिलाने हेतु विभिन्न संगठनों का गठन किया गया है जिनमें 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' एनएचआरसी एवं 'राज्य मानवाधिकार' आयोग प्रमुख है। अधिकारों के साथ ही कानून व्यवस्था नागरिकोंके मूल कर्तव्यों पर भी सक्रिय है जिससे कोई भी अपने अधिकारों का अनैतिक व अनुचित फायदा ना उठा सकें, गलत तरीके

से मनमानी न कर सके।इन संगठनों की सीमित शक्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता एवं सुझावों को इसशोध पत्र में रखा गया है। साथ ही आवश्यकता है मानव अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ खुद आवाज उठाने की। जिसके लिए इस शोध पत्र में अनुच्छेदों में वर्णित अधिकारों को सरलतम भाषा में सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि मानव से इसके मूल अधिकारों को छिनना अमानवीयताहै।

शब्द कुंजी : राष्ट्रीय संविधान, मानव अधिकार, समानता, शिक्षा, मौलिक कर्तव्य, धर्म निरर्पेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय मनवाधिकार आयोग, संगठन, सरकारी–गैर–सरकारी संस्थान, NHRC, स्वतंत्रता, राष्ट्रहित, प्रजातीय मूल, अधिकार, विकासशील भारत, संविधान व अनुच्छेद, अधिकार एवं कर्तव्य, राष्ट्र निर्माण, कानून, भाषा–धर्म, संयुक्तराष्ट्र घोषणा पत्र, लोकतंत्र, विकासशील भारत, मौलिक अधिकार, नैतिक सिद्धांत, भारतीय संविधान व अनुच्छेद।

परिचयः मानव अधिकार वे नैतिक सिद्धांत है जो मानव व्यवहार से संबंधित कुछ निश्चित मानक स्थापित करता है यह मानव अधिकार स्थानीय तथा अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा नियमित रूप से रक्षितहैं यह अधिकार प्रायः ऐसे आधारभूत अधिकार है जिन्हें छीना नहीं जा सकता यह जन्मजात अधिकार है, मनुष्य होने के नाते जीवन जीने के अधिकार है। व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास, स्थान ,भाषा, धर्म आदि का इन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यें अधिकार सदा और सर्वत्र देय है तथा सबके लिए समान है।

देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशीलता और संप्रभुता संपन्न पंथनिरर्पेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप मेंइसकी प्रतिष्ठा, तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में

इसके इतिहास के परिणाम स्वरुप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थित एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता की अंतर्भूक्त है। संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ–साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अंदर एवं बाहर आने जाने की भी स्वतंत्रता दी गई है।

मानव अधिकार मात्रा किसी स्थान, राज्य अथवा राष्ट्र की नीति नहीं है अपितुये तो सर्वत्र प्राणीमात्र में मनुष्य जन्म जीने का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, व्यक्तियों को समान रूप से बढ़ने का अधिकार है। मानव अधिकार विश्व भर में व्यक्तियों केमान्यवे अधिकार है जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों का उद्भव मानव की अंतर्निहित गरिमा में हुआ है। विश्व निकाय ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार और उद्घोषित किया। इस उद्घोषणा के अनुसार हर एक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इन अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान जागृत करेगा और अधिकारों की विश्वव्यापी एवं प्रभावी मान्यता और उनके पालन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पश्चात मानव अधिकारों की अभिवृद्धि और पालन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक प्रसंविदा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा1966 और अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार पर प्रसंविदा के वैकल्पिक प्रोटोकॉल को अंगीकार किया है।

मानव अधिकारों में अतिक्रमण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपचारों के भी प्रावधान है। मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों के मनकों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। अतः शांति बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बनाये रखने, आर्थिक व सामाजिक विकास में सहायता करने के लिए इन अधिकारों को महत्वपूर्ण बनाने पर दृढ़ता पूर्वक कार्य करने करना आवश्यक है।

विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र पर आधिकारिक मान्यता:10 दिसंबर 1948सामान्य जीवनयापन के लिए प्रत्येक मनुष्य के अपने परिवार, कार्य, सरकार और समाज पर कुछ अधिकार होते हैं, जो आपसी समझ और नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। इसी के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 के सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणापत्र को आधिकारिक मान्यता दी गई जिसमेंसंविधान द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं और इस दिन को प्रत्येक वर्ष, 10 दिसंबर को **मानव अधिकार दिवस** मनाया जाता है। 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'संयुक्त राष्ट्र संघ' के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को 'मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक' की घोषणा **यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स** के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया गया है इस प्रकार मूल अधिकारों के विचार ने वर्तमान समय में एक सर्वमान्य धारणा का रुप ग्रहण कर लिया है।

बात अगर मानवीय अधिकारों की घोषणा की करें तो इसकी पहल, फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्वको ''स्वतंत्रता, समानता और भ्रातत्व का संदेश दिया था। क्रांति के उपरांत फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा ''डिक्लेरेशन ऑफ द राइटस ऑफ मैन'' को शामिल करके नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप

देने की प्रथा प्रारम्भ की। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधन द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधानका अंग बनाया गया। ये संशोधन ही सामूहिक रूप में **''अधिकार पत्र''** बिल ऑफ राइट कहलाए।

प्रथम युद्ध के बाद अनेक पुराने राज्यों और युद्ध के बाद स्थापित अनेक नवीन राज्यों ने संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया, इस संबंध में जर्मनी की वीमर संविधान और आयरलैंड का संविधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।द्वितीय महायुद्ध के काल में मूल अधिकार का विचार ओर भी लोकप्रिय हुआ, सभी के में मूल अधिकारों का समावेश किया गया।

भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व– व्यक्ति और राज्यों के आपसी सम्बन्धों की समस्या सदैव से ही बहुत जटिल रही है और आज की प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए नागरिक के जीवन पर राज्य का नियन्त्रण आवश्यक है तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक है जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए, व्याक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सकें। मूल अधिकार व्याक्ति स्वातन्त्रय और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के श्रेष्ठ उपाय है।

मूल अधिकार प्रजातन्त्र के आधार–स्तम्भ है। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है वे इस दृष्टि से भी प्रजातन्त्र के लिए अनिवार्य है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास

की सुरक्षा प्रदान की जाती है है और उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना उचित रूप में जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता।

मूल अधिकार, एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितान्त आवश्यक हैं। इसमे सन्देह नहीं कि वर्तमान समय में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया है लेकिन प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में 'बहुमत तानाशाही' का भय बराबर बना हुआ है। मूलअधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की, विशेष रूप से अल्पसंख्यक की रक्षा करते हैं और इस प्रकार बहुमत के अत्याचारी शासन की आशंका का अन्त करते है।

'' मानव अधिकार वैसे अधिकार है जो हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य है। इनमें सबसे मौलिक, जीवन के अधिकार से लेकर वे अधिकार शामिल हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं, जैसे कि भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ और स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय 10 दिसंबर को''विश्व मानवाधिकार दिवस' मनाया जाता है।

भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है– संविधान केमौलिक अधिकारों को, भाग 3 अनुच्छेद 14से 32 तक वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किये गये वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किये जा सकते है और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी और समझ अवश्य होनी चाहिए।

भारत का संविधान छः मौलिक अधिकार प्रदान करता हैः

- समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
- धर्म की स्वतंत्रता अधिकार (अनुच्छेद 25–28) का आ
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद २१–30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद–32)

संविधान के भाग ।।।को **'भारत का मैग्नाकार्टा'** की संज्ञा दी गई है। 'मैग्नाकार्टा' अधिकारों का वह प्रपत्र है, जिसे इंग्लैण्ड के किंग जॉन बारा 1215 में सांमतो के दबाव में जारी किया गया था। यह नगरिकों में मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था।

संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित मूल अधिकारों का अध्ययनात्मक वर्णन एवं सार :

1– सब लोग गरिमा और अधिकार के मामले में स्वतंत्र और बराबर है अर्थात् सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है।

2–प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है। नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीयता या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, आदि जैसी बातों पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे कोई देश या प्रदेश की राजनैतिक क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई फर्क नहींरखा जाएगा।

3–प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, आजादी और सुरक्षा का अधिकार।

4–गुलामी यादासता से आज़ादी का अधिकार, अर्थात किसी भी व्यक्ति को गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जा सकता, गुलामी प्रथा और व्यापार पूरी तरह से निषिद्ध होगा।

5–यातना, प्रताड़ना या क्रूरता से आज़ादी का अधिकार अर्थात किसी को भी शारीरिक यातना नहीं की जा सकती और न ही कभी उनके प्रति निर्देय, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहाार किया जा सकता है।

6–कानून के सामने सभी को समानता का अधिकार अर्थात हर किसी को, हर जगह कानून की दृष्टि व्यक्तिगत के रूप में स्वीकृति–प्राप्ति का अधिकार।

7–कानून के सामने सभी को समान संरक्षण का अधिकार अर्थात कानून की निगाह में सभी को बिना भेदभाव के सुरक्षा का अधिकार है।

8–किसी भी स्थिति में अपने बचाव पक्ष हेतू अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार अर्थात कानून द्वारा प्रदत्त बुनियादी अधिकारों पर किसी के द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर समुचित राष्ट्रीय अदालतों की सहायता पाने का अधिकार है। इस स्थिति में मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी, हिरासत में रखने या निर्वासन से आज़ादी का अधिकार प्राप्त है।

9–किसी भी स्वतंत्र अदालत के जरिए निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार अर्थात् सभी को समान रूप से यह अधिकार है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में और फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवायी अदालत द्वारा उनका न्याय उचित रूप से और

निरपेक्ष व निष्पक्ष हो।10–जब तक अदालत दोषी करार नहीं देती उस वक्त तक निर्दोष होने का अधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप किया गया हो, तब तक निरापराध माना जाएगा, साथ ही उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो।

11–घर, परिवार और पत्राचार में निजता का अधिकार अर्थात किसी व्यक्ति की अकेलेपन, परिवार, घर, या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाए, नही किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है।

12–देश–विदेश से आने–जाने, भ्रमण करने का अधिकार इसके अर्न्तगत प्रत्येक व्यक्ति हर देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक आने–जाने, घूमने अथवा रहने या रहकर पुनः अपने देश वापस आने का अधिकार रखता है।

13–किसी दूसरे देश में राजनितिक शरण मांगने का अधिकार अर्थात किसी व्यक्ति के सताए जाने पर उसे अन्य देशों की शरण लेने का अधिकार प्राप्त है किन्तु इसका लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर–राजनीतिक अपराधों से संबधित है। या फिर संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

14–शादी करने और परिवार बढ़ाने का अधिकार अर्थात् बालिग स्त्री–पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के आपस में विवाह करने व परिवार स्थापन करने का अधिकार है।

15–सम्पत्ति का अधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है। इसके तहत सरकार व शासन किसी को भी मनमाने ढंग से उनकी संपत्ति से वांचित नहीं कर सकती।

16–किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात विचार, विवेक से अन्तरात्मा और धर्मकी आजादी का अधिकार है। अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेलेया दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से अथवा निजि तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा, क्रिया, उपासना, तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करनेकी आजादी की अधिकार।

17– विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने काअधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बिना हस्तक्षेप राय रखना और किसी भी माध्यम के द्वारा या सीमाओं की परवाह किये बिना सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इसके तहत किसी भी सूचना और धारणा का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान इसमेंसम्मिलित है।

18– संगठन बनाने और सभा करने का अधिकार अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है।

19–सरकार अथवा शासक चुनने का स्वतंत्र अधिकार। सरकार बनाने की गतिविधियों में हिस्सा लेने, चुनाव में स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात् प्रत्येक

व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों का साथ देने का अधिकार है।

20–बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी, योजनाओं एवं लाभ प्राप्त करने का अधिकार है अर्थात व्यक्ति को उसकीजात–पात, उच व नीच, अमीर–गरीबी की तुलना किये बिना समान रूप से अपनी योग्यता से सरकारी नौकरी अथवा योजनाओं को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

21–सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार अर्थात समाज के एक सदस्य के रूप में हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।

22–प्रत्येक व्यक्ति एवं नागरिक को अपने व्यक्तित्व के अनुसार स्वतंत्र विकास और गौरव के लिए– जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुकूल हो –अनिवार्यतः आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार है।23–काम करने का अधिकार, समान काम पर समान भुगतान का अधिकार और टरेड़यूनियन में शामिल होने और बनाने का अधिकार– अर्थात् इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने, समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मजदूरी पाने एवं श्रमजीवी संघ बनाने और उनमे भाग लेने का अधिकार है।

24—काम करने की उचित अवधि और संवैतनिक छुट्टियों का अधिकार अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। इसके अंतर्गत काम के घंटो की उचित व्यवस्था और समय—समय परअवकाश तथा मजदूरी सहित छुट्टियां साम्मिलित है।

25—भोजन, आवास, कपड़े, चिकित्सीय देखभाल और सामाजिक सुरक्षा सहित अच्छे जीवन स्तर के साथ स्वयं और परिवार के साथ जीने का अधिकार।

26—शिक्षा का अधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, जिसमें प्रथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निशुल्क होगी। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियों, अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास होगा और शक्ति दूतों का निर्माण होगा।

27—सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी और बौद्धिक संपदा के संरक्षण का अधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता—पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं में प्रतिभागिता, रसांनद लेने, तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त नागरिक को अधिकार है कि वह किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचियता वह स्वयं हो।

28—प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें उस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जासकें।

अनुच्छेदों में वर्णित भारतीय नागरिकों को समान रुप से जीवन यापन के सभी उचित अधिकार प्राप्त है किन्तु उन अधिकारों पर प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य भी निहित

है।प्रत्येक व्यक्ति के अपने राष्ट्र, समाज के प्रति कर्तव्य है, जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्व विकास संभव है। अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति कानून द्वारा निश्चित की गई सीमाओं द्वारा बंध होगा। इसका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति है। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी भी प्रकार से संयुक्त राष्ट्रों में सिद्धान्तों और उद्देश्यों के व राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी के निजी स्वार्थ व अधिकार द्वारा अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन भी न होगा ।

भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' का गठन एवं अवश्यकता : भारत का 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' एक गैर–संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अम्टूबर 1993 को हुई थी। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहु–सदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र है तथा महासचिव जयदीप गोविंद है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों (कार्यकाल 3वर्ष, या 70वर्ष आयु) जो भी पहले पूर्व हो जाए है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर होती है,

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धान्तोंके अनुरूप है। जिन्हें अक्टूबर 1991, में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया थातथा 20 दिसंबर 1993, में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था।

राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग (National Human Rights Commission - NHRC)एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संविधान द्वारा दिये गये मानवाधिकारों जैसे– जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। वहीं 'राज्य मानवाधिकार आयोग' में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य और शक्तियाँ–

•NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्ल्ंघन से सम्बंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला NHRC ने संज्ञान में आता है या शिकायत के मध्य लाया जाता है तो NHRC को उसकी जाँच करने का अधिकार है।

•NHRC संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिये प्रदान किये गये सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उसके बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है।

•NHRC मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है।

•यह आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगो को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरुक करता है।

•आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ है और यह अन्तिरम राहत भी प्रदान कर सकता है।

•इसके पास मुआवज़े या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है।

• यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लघंन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिशें भी कर सकता है।

•आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष में प्रस्तुत करता है जिसे संसद में दोनों सदनों में रखा जाता है।

आयोग की सीमायें : •NHRCकिसी भी मामले में जांच के लिए सम्बंधित सरकार से आग्रह या आदेश करता है स्वयं का कोई विशेष तंत्र नहीं है।

•NHRCके पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है, वह किसी को निर्णय लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

•इसके पास कोईविशेष आर्थिक फडिंग नहीं होती है।

•यहां तक की 'राज्य मानव अधिकार आयोग' तो केन्द्र सरकार सेकिसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकता।

•केन्द्रीय सशस्त्र बलों की जाँच करने से रोका जाता है इसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों का काफी सिमित कर दिया है।

सुझाव : एनएचआरसी की संरचना में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा इसमें आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। आयोग को सही मायनों में मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक कुशल प्रहरी बनाने के लिए उसकी शक्तियों में सीमाओं को बढ़ाना व मजबूत करना चाहिए। उसे जांच के मामलों में जानकारी रखने का अधिकार सौंप देना चाहिए। सरकार द्वारा आयोग के निर्णय को पूरी तरह लागू करके उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष : मानव अधिकारों को सार्वभौमिक अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकार वे मानदंड है जो मानव व्यवहार के मानकों को स्पष्ट करते है। एक इंसान होने के नाते ये वो मौलिक अधिकार है जिनका प्रत्येक व्यक्ति स्वभाविक रूपसे हक़दार है। ये अधिकार हमारे संविधान द्वारा संरक्षित है। किन्तु कानून द्वारा संरक्षित इन अधिकारों में से कई का लोगो, यहां तक कि सरकारों द्वारा भी उल्लंघन किया जाता है। हालाकि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए कई संगठन बनाये गयें हैं, जिनमे ''राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा '' राज्य मानवाधिकार आयोग'' प्रमुख है जो अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाते है। किन्तु इन आयोगों को कुशल प्रहरी बनने में बहुत सी बाधाएं एवं सीमाएं है, जिनमें सुधार की

आवश्यकता है। भारत में मानव अधिकारों को लेकर जागरुकता की प्रायः कमीदेखी गयी है। छोटे कस्बो व गांवों में तो आम आदमीइन अधिकारों की जानकारी से वंचित है जिस कारण उसे जाति–धर्म, ऊँच–नीच आदि के आधार पर आज भी भेदभाव से गुज़रना पड़ता है। भारत में मानवाधिकारोंकी स्थितियों को सुधारने और मजबूत करने के लिए राज्य अभिकर्ताओं और गैर–राज्य अभिकर्ताओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा। NHRC को जांच के लिए उचित अधिकार और अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया काडर तैयार करना चाहिए ताकि सभी मामलो की स्वतंत्र जांच की जा सकें। प्रस्तुत शोध पत्र में अनुच्छेदों में वर्णित सभी अधिकारों को सरलतम भाषा में प्रस्तुत किया गया है जिसका उद्देश्य आम जनता को साधारण भाषा में उनके अधिकारों से अवगत करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूचि

1."भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास "'–चोपडा, पी0ए0एन0 पुरी

–दिल्ली मैकमिलन इंडिया लिमिटेड

2. राजनीतिक विचारक– पाश्चात्य एवं भारतीय, – डॉ0 पुखराज जैन, डॉ0 बी एल फड़िया।

3. राजनीतिक विज्ञान– द्रष्टि द विज़न।

4. भारत में राजनीतिक प्रकिया– डॉ0 कुलदीप फड़िया।

5. राजनीति विज्ञान – डॉ0 पुखराज जैन।

6. भारत का संविधान– डॉ0 बी आर अम्बेड़कर – बुद्धम पब्लिकेशन, जयपुर।

7. Wikipedia, Encyclopedia